


## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/102 /

जबलपुर, दिनांक 09 / 01 / 2025


श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 09.08.2024 से 12.09.2024 तक 35 दिन एवं दिनांक 24.09.2024 से 27.09.2024 तक 4 दिन (कुल 39 दिन) का अवैतनिक अवकाश किया जाता है एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/6564 दिनांक 29.08.2024 के द्वारा रोके गये वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/103 /  
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 09 / 01 / 2025

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अमन परौची, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)